भाग–1

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोद, जिला सीकर	
पीठासीन अधिकारी	**जयश्री लमोरिया, आर.जे.एस**
सी.आई.एस. संख्या	289/2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	243/2022
अपराध अंतर्गत धारा	279, 304 ए भारतीय दंड संहिता व 177 मोटर यान अधिनियम
पुलिस थाना	धोद

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रस्तुत द्वारा	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी ।
अभियुक्त	गिरधारीलाल पुत्र भगवानाराम, उम्र–46 साल, निवासी भवानीपुरा, पुलिस थाना धोद, जिला सीकर।
अधिवक्ता	सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सुरेखा जांगिड़ राज्य की ओर से। विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिताश सिंह अभियुक्त की ओर से।

ख

अपराध की तिथि	26.09.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट	26.09.2022
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	10.05.2023
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	10.05.2023
साक्ष्य आरम्भ किये जाने की तिथि	07.05.2024
निर्णय की तिथि	06.07.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि(यदि हो तो)	

ग

अभियुक्त विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गए दण्ड का विवरण (यदि को हो तो)	धारा 428 दं.प्र.सं. के परिवीक्षा हेतु अवधि
1.	गिरधारी लाल	–	10.05.23	279, 304 ए भारतीय दंड संहिता एवं 177 मोटर यान अधिनियम	दोषमुक्त	–	–

भाग–2

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय गवाह सूची

क. अभियोजन गवाह

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.ड. 1	कमल शर्मा	नक्शामौका घटनास्थल
पी.ड. 2	बजरंगलाल शर्मा	नक्शामौका घटनास्थल
पी.ड. 3	मनीष कुमार	धारा 133 एम.वी. एक्ट के नोटिस का साक्षी
पी.ड. 4	मुरारीलाल स्वामी	जब्ती साक्षी
पी.ड. 5	राकेश शर्मा	जब्ती साक्षी
पी.ड. 6	पवन कुमार शर्मा	चक्षुदर्शी साक्ष्य
पी.ड.7	महेश कुमार	चक्षुदर्शी साक्ष्य
पी.ड.8	ओमप्रकाश	पुलिस साक्षी, मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
पी.ड.9	रामस्वरूप	परिवादी
पी.ड. 10	सुरेश कुमार वर्मा	अनुसंधान अधिकारी

ख. प्रतिरक्षा साक्ष्य

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
NIL		

ग. न्यायालय साक्ष्य

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
NIL		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

क.अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श पी.1	फर्द नक्शामौका घटनास्थल
2.	प्रदर्श पी.2	नोटिस 133 एम.वी. एक्ट
3.	प्रदर्श पी.3	फर्द जब्ती वाहन ट्रेक्टर
4.	प्रदर्श पी.4	फर्द जब्ती मूल कागजात वाहन ट्रेक्टर
5.	प्रदर्श पी.5	पुलिस बयान पवन कुमार अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता

6.	प्रदर्श पी.6	पुलिस बयान महेश कुमार अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता
7.	प्रदर्श पी.7	मैकेनिकल मुआयना
8.	प्रदर्श पी.8	तहरीरी रिपोर्ट
9.	प्रदर्श पी.9	पुलिस बयान रामस्वरूप अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता
10.	प्रदर्श पी.10	पंचायतनामा
11.	प्रदर्श पी.11	रसीद सुपुर्दगी लाश
12.	प्रदर्श पी.12	चाक एफ.आई.आर.
13.	प्रदर्श पी.13	नोटिस अंतर्गत धारा 134 एम.वी. एक्ट
14.	प्रदर्श पी.14	पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
15.	प्रदर्श पी.15	रोजनामचा विवरण

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्श

प्रदर्श का कर्म	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
NIL		

ग. न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श का कर्म	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
NIL		

निर्णय

दिनांक 06.07.2026

01. इस आपराधिक प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना धोद की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त गिरधारी लाल के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दंड संहिता (जिसे आगे इस निर्णय में भा.दं.स. के नाम से संबोधित किया जायेगा) व 177 मोटर यान अधिनियम (जिसे आगे इस निर्णय में एम.वी. एक्ट के नाम से संबोधित किया जायेगा) न्यायालय में पेश करने पर हुआ, जिसका अब निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी रामस्वरूप ने एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना धोद में इस आशय की पेश की कि " दिनांक 26.09.2022 को समय प्रात्ः 11.00 बजे उसके ताउजी का लड़का सुरेश कुमार अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा था व खेत में ओड़ बूर रहा था। ओड़ के पास ट्रोली खड़ी थी, जिसको ले जाने के लिए ट्रेक्टर ड्राईवर गिरधारी बेनीवाल ट्रेक्टर लेकर आया। सुरेश कुमार खड़ी ट्रोली को जोड़ने के

लिए ट्रेक्टर को पीछे करवा रहा था। पीछे करवाते समय ड्राईवर की लापरवाही के कारण पीछे के टायर व ट्रेक्टर के हिस्से की पीछे की तरफ व सिर के नीचे चोट लगी, जिसको ईलाज के लिए श्रीकल्याण अस्पताल सीकर लाया गया तो डॉक्टर ने सुरेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। सुरेश कुमार की मृत्यु ट्रेक्टर चालक की लापरवाही से ट्रेक्टर को चलाने से आई चोट के कारण हुई है।......इत्यादि।"

03. उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 8 के आधार पर पुलिस थाना धोद ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 243/2022 प्रदर्श पी. 12 धारा 279 व 304ए भा.दं.स. में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त गिरधारीलाल के विरुद्ध धारा 279, 304ए भा.दं.स. व 177 एम.वी. एक्ट के अधीन दंडनीय अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोप-पत्र दिनांक 10.05.2023 को न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.स. व 177 एम.वी. एक्ट में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2023 को ही अभियुक्त गिरधारीलाल के विरुद्ध धारा 279, 304ए भा.दं.स. व 177 एम.वी. एक्ट के अपराध का आरोप प्रथम दृष्टया बनना मानते हुए अभियुक्त को धारा 279, 304ए भा.दं.स. व 177 एम.वी. एक्ट का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया जाने पर अभियुक्त ने उक्त आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू-01 कमल किशोर, पी.डब्ल्यू-02 बजरंग लाल, पी.डब्ल्यू-3 मनीष कुमार, पी.डब्ल्यू-4 मुरारीलाल, पी.डब्ल्यू-5 राकेश शर्मा, पी.डब्ल्यू-6 पवन कुमार, पी.डब्ल्यू-7 महेश कुमार, पी.डब्ल्यू-8 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू-09 रामस्वरूप, पी.डब्ल्यू 10 सुरेश कुमार वर्मा को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 फर्द नक्शामौका घटनास्थल, प्रदर्श पी. 2 नोटिस अंतर्गत धारा 133 एम.वी. एक्ट, प्रदर्श पी.3 फर्द जब्ती वाहन ट्रेक्टर, प्रदर्श पी.4 फर्द जब्ती मूल कागजात वाहन ट्रेक्टर, प्रदर्श पी.5 पुलिस बयान पवन कुमार अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता, प्रदर्श पी.6 पुलिस बयान महेश कुमार अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता, प्रदर्श पी.7 मैकेनिकल मुआयना, प्रदर्श पी.8 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी.9 पुलिस बयान रामस्वरूप अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता, प्रदर्श पी.10 पंचायतनामा, प्रदर्श पी.11 रसीद सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श पी.12 चाक एफ.आई.आर., प्रदर्श पी.13 नोटिस अंतर्गत धारा 134 एम.वी. एक्ट, प्रदर्श पी.14 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, प्रदर्श पी.15 रोजनामचा विवरण प्रदर्शित करवाये गये।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में जो साक्ष्य पेश की उनसे अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता (351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) में परिक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा स्वयं के निर्दोष होने व झूंठा फंसाया जाने कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया, जिस पर साक्ष्य सफाई पेश करने का अवसर बंद किया गया।

07. अभियुक्त गिरधारी लाल द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता (481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत आदेशानुसार अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000/– रुपये का जमानत व मुलचके पेश कर तस्दीक करवाये जा चुके हैं।

08.1 बहस अंतिम उभय पक्ष की सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभिकथन किये कि पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है, इसलिए उन्होंने दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

08.2 अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस उक्त तर्कों का खंडन करते हुये कथन किया कि अभियुक्त निर्दोष है, अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। गवाहान के कथनों में विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष की ओर से परिक्षित किसी भी गवाह ने अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की है। अभियोजन साक्षी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित रहे हैं तथा अभियोजन कहानी का कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से परिक्षित परिवादी गवाह पी .ड. 9 रामस्वरूप भी अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं करता है। इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परिक्षित ट्रेक्टर के मैकेनिकल मुआयना का गवाह पी.ड. 8 ओमप्रकाश स्वयं यह कथन करता है कि ट्रेक्टर बिना नंबरी था। प्रकरण में ट्रेक्टर के नंबरों के संदर्भ में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है कि तथाकथित ट्रेक्टर ही घटना में शामिल हो। ऐसे में अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

09.1 उभयपक्षों द्वारा बहस के दौरान दिये गये उपर्युक्त तर्को वितर्कों पर मनन किया गया। इस संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु विद्यमान है:–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.09.2022 को सुबह 11.00 बजे भवानीपुरा धोद में मृतक सुरेश के खेत में वाहन ट्रेक्टर नंबर RJ 23 RB 7715 को लापरवाही व उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन को संकटापित करते हुए परिवादी के ताऊजी के लड़के सुरेश कुमार के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिसके परिणामस्वरूप परिवादी के

ताऊजी के लड़के सुरेश कुमार के चोटें आई तथा दौराने ईलाज आहत सुरेश कुमार की मृत्यु कारित हुई?

(2) आया अभियुक्त ने वक्त घटना उक्त ट्रेक्टर नंबर RJ 23 RB 7715 को बिना नंबर प्लेट लगाये चलाकर मोटर यान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन किया?

(3) यदि हां, तो उचित दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

10.1 उक्त विचारणीय बिन्दू के संदर्भ में सर्वप्रथम अभिलेख पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किया जाना समीचीन है, जो निम्न प्रकार हैः–

10.02 गवाह पी.डब्ल्यू 01 कमल किशोर अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करता है कि नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जो उसके सामने नहीं बनाया। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। गवाह ने सुझाव गलत बताये कि नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 1 उसके सामने बनाया हो व उसने पढ़ लिखकर हस्ताक्षर किये हो तथा उसका राजीनामा होने के कारण वह झूंठे बयान दे रहा हो। जिरह अधिवक्ता अभियुक्त शून्य रही।

10.03 गवाह पी.डब्ल्यू 02 बजरंगलाल अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करता है कि नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 1 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जो उसके सामने नहीं बनाया। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। गवाह ने यह सुझाव गलत बताये कि नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 1 उसके सामने बनाया हो व उसने पढ़ लिखकर हस्ताक्षर किये हो तथा उसका राजीनामा होने के कारण वह झूंठे बयान दे रहा हो। जिरह अधिवक्ता अभियुक्त शून्य रही।

10.04 गवाह पी.डब्ल्यू 03 मनीष कुमार अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करता है कि ट्रेक्टर नंबर आरजे 23 आर बी 7715 का वह वरवक्त घटना पंजीकृत स्वामी था। जिस बाबत् उसे 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया, जो प्रदर्श पी. 2 है, जिस पर ए से बी उसके साईन है, सी से डी जवाब उसका लिखाया हुआ नहीं है। वरवक्त घटना चालक

कौन था, वह नहीं बता सकता। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि उसका मुलजिम के साथ राजीनामा हो गया है, इसलिए इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। गवाह ने यह सुझाव गलत बताया कि प्रदर्श पी. 2 का सी से डी जवाब उसकी कलमी है और मुलजिम गिरधारी को बचाने के लिए झूंठे बयान दे रहा हो।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि प्रदर्श पी. 2 पर उसके थाने पर खाली कागज पर ही हस्ताक्षर करवाये थे। उक्त प्रदर्श पी. 2 में क्या व किस बाबत् कार्यवाही है, वह नहीं बता सकता।

10.05 गवाह पी.डब्ल्यू 04 मुरारीलाल अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करता है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 3 व 4 पर ए से बी उसके साईन है। उसके सामने न तो ट्रेक्टर जब्त किया ना ही उसके कागज जब्त किये। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह सुझाव गलत बताया कि फर्द जब्ती 3 व 4 उसके समक्ष बनायी हो और उसने पढ़–लिखकर साईन किए हों। गवाह ने यह सुझाव भी गलत बताया कि वह मुलजिम को बचाने के लिए झूंठे बयान दे रहा हो।

अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि प्रदर्श पी. 3 व 4 पर खाली कागज पर ही हस्ताक्षर करवाये थे। उक्त प्रदर्श पी. 3 व 4 में क्या कार्यवाही की गयी है, इसकी उसे जानकारी नहीं है। यह एक्सीडेंट किसी लापरवाही से हुआ, वह नहीं बता सकता।

10.06 गवाह पी.डब्ल्यू 05 राकेश शर्मा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करता है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 3 व 4 पर सी से डी उसके साईन है। उसके सामने न तो ट्रेक्टर जब्त किया ना ही उसके कागज जब्त किये। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह सुझाव गलत बताया कि फर्द जब्ती 3 व 4 उसके समक्ष बनायी हो और उसने पढ़–लिखकर साईन किए हों। गवाह ने यह सुझाव भी गलत बताया कि वह मुलजिम को बचाने के लिए झूंठे बयान दे रहा हो।

अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि प्रदर्श पी. 3 व 4 पर खाली कागज पर ही हस्ताक्षर करवाये थे। उक्त प्रदर्श पी. 3 व 4 में

क्या कार्यवाही की गयी है, इसकी उसे जानकारी नहीं है। यह एक्सीडेंट किसी लापरवाही से हुआ, वह नहीं बता सकता।

10.07 गवाह पी.डब्ल्यू 06 पवन कुमार अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करता है कि घटना करीब 2 साल पहले की है। घटना किसकी लापरवाहीं से हुई वह नहीं बता सकता। ट्रेक्टर चालक कौन था सामने आने पर भी वह नहीं बता सकता। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि प्रदर्श पी 5 बयान 161 सीआरपीसी में ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया। गवाह आगे यह सुझाव गलत बताता है कि वह मुलजिम को बचाने के लिए झूंठे बयान दे रहा हो और ट्रेक्टर नंबर आर जे 23 आर बी 7715 के चालक गिरधारीलाल की गलती और लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई हो। गवाह यह सुझाव सही बताता है कि उसका मुलजिम से राजीनामा हो गया है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए और न ही उसने कोई घटना देखी। यह घटना किसकी लापरवाही से हुई वह नहीं बता सकता, न ही वह मुलजिम को जानता है और न ही पहचानता है।

10.08 गवाह पी.डब्ल्यू 07 महेश कुमार अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करता है कि घटना करीब 2 साल पहले की है। घटना किसकी लापरवाही से हुई वह नहीं बता सकता। ट्रेक्टर चालक कौन था सामने आने पर भी वह नहीं बता सकता। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि प्रदर्श पी 6 बयान 161 सीआरपीसी में ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया। गवाह आगे यह सुझाव गलत बताता है कि वह मुलजिम को बचाने के लिए झूंठे बयान दे रहा हो तथा ट्रेक्टर नंबर आर जे 23 आर बी 7715 के चालक गिरधारीलाल की गलती और लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई हो। गवाह यह सुझाव सही बताता है कि उसका मुलजिम से राजीनामा हो गया है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए और न ही उसने कोई घटना देखी। यह घटना

किसकी लापरवाही से हुई वह नहीं बता सकता, न ही वह मुलजिम को जानता है और न ही पहचानता है।

10.09 गवाह पी.डब्ल्यू 08 ओमप्रकाश अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करता है कि वह दिनांक 02.11.2022 को पुलिस लाईन सीकर में एम.टी.ओ. चालक के पद पर तैनात था। उस रोज एसएचओ धोद की तहरीर पर मुकदमा नंबर 243/2022 में जब्तशुदा बिना नंबरी ट्रेक्टर एम.एफ. 1035 डी.आई. का मैकेनिकल मुआयना किया था। मैकेनिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी. 7 है, जिस पर ए से बी उसके साईन, सी से डी उसकी मैकेनिकल रिपोर्ट है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि एक्सीडेंट की घटना कितने दिन पुरानी है, वह नहीं बता सकता। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी. 7 उसने थाने पर ही तैयार की थी। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेक्टर के ऊपर कहीं भी ऐसा निशान, स्क्रेच, खून के छीटें नहीं लगे थे। उक्त ट्रेक्टर के नंबर RJ 23 PB 7715 थे। गवाह यह सुझाव सही बताता है कि उक्त ट्रेक्टर पर वाहन के नंबर नहीं लिखे हुए थे। गवाह यह सुझाव गलत बताता है कि वह उच्च अधिकारी के कहने पर झूंठे बयान दे रहा हो और उक्त एम .टी.ओ. रिपोर्ट उसके द्वारा गलत तैयार कर पेश की गई हो।

10.10 गवाह पी.डब्ल्यू 09 रामस्वरूप अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करता है कि करीब 2 साल पहले उसके ताऊजी का लड़का सुरेश खेत पर ट्रेक्टर टोली से कृषि कार्य करवा रहा था। उसके ट्रेक्टर टोली से चोट लगी तो उसके पास फोन आया कि सुरेश कुमार के सिर पर चोट लगी है। जिस पर वह खेत पर आया व उसे एस.के. अस्पताल लेकर गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। खेत पर किसका ट्रेक्टर कार्य कर रहा था व उसे कौन चला रहा था, उसे पता नहीं। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह यह सुझाव सही बताता है कि घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 उसने थाने पर पेश की थी, जिसका ए से बी भाग उसने लोगों ने कहे अनुसार लिखे थे। रिपोर्ट देने के 2–3 बाद पुलिस नक्शामौका बनाने आई, जो प्रदर्श पी 1 है। जिस पर जी से एच उसके साईन है। पुलिस ने उसके बयान लिए थे। पुलिस ने उसके बयान प्रदर्श पी 9 लिए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 9 का ए से बी भाग उसने पुलिस को लिखाया था। सी से डी भाग उसने लोगों के कहे अनुसार लिखाया था। गिरधारी लाल उसके गांव का हो तो उसे पता नहीं। गवाह यह सुझाव गलत बताता है कि उसने यह मुकदमा क्लेम प्राप्त करने के लिए किया हो और क्लेम मिलने के कारण वह मुलजिम को बचाने के लिए झूंठे बयान दे रहा हो।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह यह सुझाव सही बताता है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था और न ही उसके पुलिस में बयान हुए थे और न ही उसने कोई रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। वह पढ़ा लिखा नहीं है, उसके तो खाली कागजों पर साईन करवाए थे।

10.11 गवाह पी.डब्ल्यू 10 सुरेश कुमार वर्मा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करता है कि वह दिनांक 26.09.2022 को पुलिस थाना धोद में हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात था उस दिन दुर्घटना की सूचना पर एस.के. अस्पताल सीकर पहुंचा जहां परिवादी रामस्वरूप द्वारा एक लिखित रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की गई। रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 279, 304ए भा.द.स. के परिधि में आने से मौके पर पंचनामा की कार्यवाही शुरू की। दुर्घटना में मृतक सुरेश कुमार शर्मा की लाश का पंचान की उपस्थिती में पंचनामा तैयार किया एवं शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर शव घरवालों को सुपुर्द किया। पंचनामा प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे पंचान के एवं के से एल उसके हस्ताक्षर है। सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 11 है, जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबिरान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उक्त कार्यवाही पुरी कर परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट एवं मुर्तिब पदार्थ के साथ वापसी कर थाना पहुंचा। जहां थानाधिकारी राकेश कुमार के समक्ष उक्त रिपोर्ट व पदार्थ पेश किये, जिन्होने उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 243/2022 जुर्म धारा 279, 304ए भा.दं.स. में पंजीबद कर प्रकरण का अनुसंधान उसके हवाले किया। परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 पर सी से डी उसके द्वारा अंकित कार्यवाही पुलिस का अंकन है जिसके नीचे ए से बी परिवादी व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जी से एच कायमी मुकदमा का नोट है, जिसके नीचे आई से जे उसके व के से एल एस.एच.ओ. के हस्ताक्षर है, जिसकी चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। राकेश कुमार के डिजिटल हस्ताक्षर अंकित किये गये है। वह एस.एच.ओ. के हस्ताक्षर सहकर्मी होने के कारण पहचानता है। दौराने अनुसंधान परिवादी की उपस्थिती व रूबरू मौतबिरान दुर्घटना स्थल का मुआयना कर नक्शामौका हालातमौका प्रदर्श पी 01 तैयार किया, जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान व ई से एफ उसके व जी से एच परिवादी के हस्ताक्षर है। परिवादी रामस्वरूप, गवाहान पवन कुमार, महेश कुमार के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। दुर्घटना कारित वाहन मैसी ट्रेक्टर 1035 डी आई फर्ग्युसन लाल रंग को वाहन स्वामी मनीष कुमार द्वारा लाकर पेश किया गया, जिसे जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 03 तैयार कि गई। जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान ई से एफ वाहन स्वामी व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। वाहन स्वामी को धारा 133 एम वी एक्ट का नोटिस दिया गया, जो प्रदर्श पी 02 है। जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। सी से डी वाहन स्वामी का जवाब

व ए से बी उसका जवाब है। अपने जवाब में वक्त दुर्घटना चालक गिरधारीलाल होना बताया। साथ ही वाहन की मूल आर सी, इश्योरेंस व चालक गिरधारीलाल का डी एल पेश किया गया, जिन्हें जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 04 तैयार की, जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान व ई से एफ वाहन स्वामी व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। गिरधारीलाल को धारा 134 एम वी एक्ट का नोटिस दिया नोटिस प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी गिरधारीलाल का जवाब व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जवाब में स्वयं को चालक होना बताया व डी एल मालिक के पास होना बताया। मृतक की पीएमआर प्रदर्श पी 14 प्राप्त की जिसे अनुसंधान पत्रावली में शामिल किया। घटना दिनांक को दुर्घटना की सूचना पर थाने से मुलाराम एएसआई मौके पर गये थे, जिनकी आमद बाबत् रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 15 है को शामिल पत्रावली की जिस पर ए से बी प्रमाणितकर्ता के रूप में उसके हस्ताक्षर है। वाहन ट्रेक्टर का मैकेनिकल मुआयना करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की। वाहन स्वामी द्वारा वाहन की आर सी पेश की जाने पर वाहन के नंबर पता चले, जो आर जे 23 आर बी 7715 थे। बाद संपूर्ण अनुसंधान मुलजिम गिरधारीलाल के विरुद्ध जुर्म धारा 279, 304 ए भा.द.स. का अपराध प्रमाणित पाया गया साथ ही वाहन को बिना नंबर प्लेट उपयोग में लेने पर धारा 177 एम वी एक्ट का अपराध भी प्रमाणित पाया गया। अनुसंधान पूर्ण कर पत्रावली वास्ते आरोप पत्र एस.एच.ओ. राकेश कुमार को सुपुर्द की जिन्होने उपरोक्तानुसार आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। आरोप–पत्र पर राकेश कुमार के हस्ताक्षर है।

अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा की जिरह में गवाह यह सुझाव सही बताता है कि घटनास्थल पर घटना से संबंधित कोई अलामात नहीं मिले। नक्शामौका प्रदर्श पी 01 के चारो दिशाओं में क्या है, वह नहीं बता सकता पत्रावली देख कर बता सकता है। गवाह यह सुझाव सही बताता है कि धारा 133, 134 एम वी एक्ट का नोटिस कितनी तारीख को दिया याद नहीं है। गवाह यह सुझाव गलत बताता है कि परिवादी से मिलकर क्लेम लेने के चक्कर में झूंठा अनुसंधान किया हो।

11. विचारणीय बिंदू संख्या 1 के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की मिश्रित रूप से विवेचना की जाए तो न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम यह तथ्य उभरकर आता है कि हस्तगत प्रकरण वाहन चलाकर दुर्घटना कारित कर देने से संबंधित है तथा ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष को निम्न बिंदू साबित करने होते हैं तथा न्यायालय को इन्हीं बिंदुओं पर अपना निष्कर्ष निकालना होता है जो इस प्रकार है–

1. क्या तथाकथित दुर्घटना वाहन ट्रेक्टर नंबर RJ 23 RB 7715 द्वारा कारित हुयी तथा वक्त दुर्घटना अभियुक्त ही दुर्घटना कारित करने वाले उक्त प्रश्नगत वाहन को संचालित कर रहा था ?

2. क्या अभियुक्त द्वारा उक्त प्रश्नगत वाहन को लापरवाही तथा उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन को संकटापित करते हुए परिवादी के ताऊजी के लड़के सुरेश कुमार के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिसके कारण आहत सुरेश कुमार की मृत्यु कारित हुई?

12.1 उक्त बिंदुओं के संबंध में पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर आई सम्पूर्ण साक्ष्य का समग्र विवेचन किया जावे तो इस प्रकरण का उद्भव परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू. 09 रामस्वरूप द्वारा दर्ज करवायी गयी लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 के आधार पर हुआ है तथा उक्त तहरीरी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 में परिवादी गवाह पीडब्ल्यु 09 रामस्वरूप द्वारा मुख्य रूप से यह अभिकथन किये गये हैं कि 'दिनांक 26.09.2022 को समय प्रातः 11.00 बजे उसके ताउजी का लड़का सुरेश कुमार अपने खेत में ओड़ बूरने का कृषि कार्य कर रहा था। ओड़ के पास ट्रोली खड़ी थी। जिसको ले जाने के लिए ट्रेक्टर ड्राईवर गिरधारी बेनीवाल ट्रेक्टर लेकर आया। सुरेश कुमार खड़ी ट्रोली को जोड़ने के लिए ट्रेक्टर को पीछे करवा रहा था। पीछे करवाते समय ड्राईवर की लापरवाही के कारण पीछे के टायर व ट्रेक्टर के हिस्से की पीछे की तरफ व सिर के नीचे चोट लगी, जिसको ईलाज के लिए श्रीकल्याण अस्पताल सीकर लाया गया तो डॉक्टर ने सुरेश कुमार को मृत घोषित कर दिया।' सुरेश की मृत्यु ट्रेक्टर चालक की लापरवाही से ट्रेक्टर को चलाने से आई चोट के कारण हुई है। इस प्रकार परिवादी रामस्वरूप द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 में ट्रेक्टर को उसके चालक गिरधारी द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाकर परिवादी रामस्वरूप के ताऊजी के लड़के सुरेश कुमार के टक्कर मारकर चोटें कारित करने तथा तत्पश्चात् उक्त चोटों के कारण सुरेश कुमार की मृत्यु कारित होने के तथ्य वर्णित हैं।

12.2 ऐसे में परिवादी रामस्वरूप प्रकरण में एक महत्वपूर्ण साक्षी है। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष की ओर से पी.ड. 9 के रूप में परीक्षित करवाया है। प्रकरण के परिवादी व मृतक के भाई पी.ड. 9 रामस्वरूप के न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ बयानों का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड. 9 रामस्वरूप अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में, सुरेश कुमार का एक्सीडेंट होने तथा सुरेश कुमार को घायल अवस्था में श्रीकल्याण अस्पताल सीकर लेकर जाने, जहां सुरेश कुमार को मृत घोषित करने के कथन अवश्य करता है, परन्तु दौराने मुख्य परीक्षा ही गवाह पी.ड. 9 रामस्वरूप यह कथन भी करता है कि खेत पर किसका ट्रेक्टर कार्य रहा रहा था व उसे कौन चला रहा था, उसे नहीं पता। इस प्रकार गवाह पी.ड. 9

रामस्वरूप अपनी मुख्य परीक्षा में ही तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 8 के विपरीत ट्रेक्टर कौन चला रहा था व किसका ट्रेक्टर कार्य कर रहा था, उसे पता नहीं होने के कथन करता है। इसी अनुक्रम में सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह पी.ड. 9 रामस्वरूप से की गई जिरह का अवलोकन किया जाये तो गवाह पी.ड. 9 रामस्वरूप दौराने जिरह घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 8 का ए से बी भाग जिसमें मुख्य रूप से ट्रेक्टर ड्राईवर गिरधारी होने व सुरेश की मृत्यु ट्रेक्टर चालक द्वारा लापरवाही से ट्रेक्टर चलाने के कारण होने बाबत् तथ्य अंकित है, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 8 का उक्त ए से बी भाग लोगों के कहे अनुसार लिखने का कथन किया है। इसके साथ ही गवाह पी.ड. 9 रामस्वरूप अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 9 का सी से डी भाग जिसमें मुख्य रूप से ट्रेक्टर चालक गिरधारी द्वारा लापरवाही पूर्वक ट्रेक्टर चलाकर दुर्घटना कारित करने के बाबत् तथ्य अंकित हैं, उक्त सी से डी भाग को भी लोगों के कहे अनुसार लिखवाना बताता है। इसी प्रकार अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह पी.ड. 9 रामस्वरूप ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने, ना ही पुलिस बयान होने व ना ही घटना के वक्त मौके पर होने तथा पुलिस द्वारा खाली कागजों पर साईन करवाने के कथन किये हैं। इस प्रकार परिवादी व मृतक का भाई पी.ड. 9 रामस्वरूप जिसके द्वारा दर्ज करवायी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 के आधार पर ही इस प्रकरण का उद्भव हुआ है, उक्त गवाह पी.ड. 9 रामस्वरूप पूर्णरूप से पक्षद्रोही रहा है तथा गवाह पी.ड. 9 रामस्वरूप अभियोजन कहानी, लिखित तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 व चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 12 के तथ्यों का लेशमात्र भी समर्थन नहीं करता है कि तथाकथित दुर्घटना वाहनट्रेक्टर नंबर RJ 23 RB 7715 को उसके चालक गिरधारी द्वारा लापरवाहीपूर्वक चलाकर कारित की गई हो।

12.3 इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.ड. 1 कमल किशोर व पी.ड. 2 बजरंगलाल की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड. 1 कमल किशोर व गवाह पी.ड. 2 बजरंगलाल अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 1 पर क्रमशः ए से बी व सी से डी अपने हस्ताक्षर होने का कथन अवश्य करते हैं परन्तु अपनी मुख्य परीक्षा मे ही गवाह पी.ड. 1 कमल किशोर व पी.ड. 2 बजरंगलाल यह कथन भी करते हैं कि उक्त नक्शामौका उनके सामने नहीं बनाया। इसी अनुक्रम में उक्त दोनों गवाहान पी.ड. 1 कमल किशोर व पी.ड. 2 बजरंगलाल से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह का अवलोकन किया जाये तो उक्त दोनों गवाहान पी.ड. 1 कमल किशोर व पी.ड. 2 बजरंगलाल सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह के दौरान यह सुझाव गलत बताते हैं कि नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 1 उनके सामने बनाया हो व उन्होंने पढ़ लिख कर हस्ताक्षर किये हों। इस प्रकार उक्त दोनों गवाह पी.ड. 1 कमल किशोर

व पीड. 2 बजरंगलाल भी अपने सशपथ बयानों में अभियोजन कहानी तथा नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी 1 के तथ्यों की लेशमात्र भी ताईद नहीं करते है, अपितु उक्त दोनों गवाह पी.ड. 1 कमल किशोर व बजरंगलाल पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। ऐसे में अभियोजन पक्ष नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 1 साबित करने में असफल रहा है।

12.4 इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से तथाकथित दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर के वाहन मालिक को पी.ड. 3 के रूप में परीक्षित करवाया है। उक्त गवाह पी.ड. 3 मनीष कुमार के सशपथ बयानों का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड. 3 मनीष कुमार अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन करता है कि ट्रेक्टर नंबर आरजे 23 आरबी 7715 का वह वरवक्त घटना पंजीकृत स्वामी था। जिस बाबत् उसे 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस दिया गया, जो प्रदर्श पी. 2 है। तत्पश्चात् उक्त गवाह पी.ड. 3 मनीष अपने मुख्य परीक्षण में ही आगे यह अभिकथन करता है कि वरवक्त घटना चालक कौन था, वह नहीं बता सकता तथा नोटिस प्रदर्श पी. 2 पर सी से डी जवाब उसका लिखवाया हुआ नहीं है। उक्त नोटिस प्रदर्श पी. 2 का अवलोकन किया जाये तो उक्त नोटिस प्रदर्श पी. 2 के सी से डी भाग में मुख्य रूप से यह तथ्य वर्णित है कि "दिनांक 26.09.2022 को समय करीब 11 बजे उसका ट्रेक्टर बिना नंबरी मैसी डीआई रंग लाल 1035 फर्ग्यूसन को वाहन चालक गिरधारी पुत्र भगवानाराम चला रहा था, मैं ट्रेक्टर मालिक हूं। उसके ट्रेक्टर के नंबर RJ 23 RB 7715 चैचिस नंबर MEA2EE61FF2054615 व इंजन नंबर S324E08648 है।" इसके अतिरिक्त सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में भी गवाह पी.ड. 3 मनीष यह सुझाव गलत बताता है कि प्रदर्श पी. 2 का सी से डी जवाब उसकी कलमी हो। इसी अनुक्रम में उक्त गवाह पी.ड. 3 मनीष से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह का अवलोकन किया जाये तो उक्त गवाह पी.ड. 3 मनीष अधिवक्त अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में भी यह अभिकथन करता है कि प्रदर्श पी. 2 पर उसके थाने पर खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे तथा उक्त प्रदर्श पी. 2 में क्या व किस बाबत् कार्यवाही की है, वह नहीं बता सकता। इस प्रकार उक्त गवाह पी.ड. 3 मनीष कुमार भी पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन इस तथ्य पर नहीं करता है कि दुर्घटना वाहन ट्रेक्टर नंबर RJ 23 RB 7715 को उसके चालक/अभियुक्त गिरधारीलाल द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाकर कारित की गई हो।

12.5 इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.ड. 4 मुरारीलाल व पी.ड. 5 राकेश शर्मा के सशपथ बयानों का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड. 4 मुरारीलाल व पी.ड. 5 राकेश शर्मा दोनों फर्द जब्ती के गवाह हैं। उक्त दोनों गवाह पी.ड. 4 मुरारीलाल व पी.ड. 5 राकेश शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान फर्द जब्ती

प्रदर्श पी. 3 व 4 पर क्रमशः ए से बी व सी से डी अपने हस्ताक्षर होने का अभिकथन किया है, परंतु उक्त दोनों गवाहान पी.ड. 4 मुरारीलाल व पी.ड. 5 राकेश ने मुख्य परीक्षा के दौरान ही यह कथन किया कि उनके सामने न तो ट्रेक्टर जब्त किया, ना ही उसके कागज जब्त किये गये। इसके पश्चात् उक्त दोनों गवाह पी.ड. 4 मुरारीलाल व पी.ड. 5 राकेश से सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई जिरह का अवलोकन किया जाये तो सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में उक्त दोनों गवाह पी.ड. 4 मुरारीलाल व पी.ड. 5 राकेश यह सुझाव गलत बताते हैं कि फर्द जब्ती 3 व 4 उनके समक्ष बनायी हो और उन्होंने पढ़–लिखकर साईन किये हों। इसी प्रकार अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा की गई जिरह में भी उक्त दोनों गवाह पी.ड. 4 मुरारीलाल व पी.ड. 5 राकेश यह सुझाव सही बताते हैं कि प्रदर्श पी. 3 व 4 पर खाली कागज पर ही हस्ताक्षर किये थे तथा उक्त प्रदर्श पी. 3 व 4 पर क्या कार्यवाही की गई है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है तथा एक्सीडेंट किसकी लापरवाही से हुआ, वे नहीं बता सकते। इस प्रकार गवाह पी.ड. 4 मुरारीलाल व पीड. 2 राकेश शर्मा भी अपने सशपथ बयानों में अभियोजन कहानी तथा फर्द जब्ती प्रदर्श पी 3 व 4 के तथ्यों की लेशमात्र भी ताईद नहीं करते है तथा पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। ऐसे में अभियोजन पक्ष फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 3 व 4 साबित करने में भी असफल रहा है।

12.6 इसी प्रकार प्रकरण में परिक्षित गवाह पी.ड. 6 पवन कुमार व पी.ड. 7 महेश कुमार के सशपथ बयानों का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड. 6 पवन कुमार व पी.ड. 7 महेश कुमार अपने मुख्य परीक्षण में ही यह कथन करते हैं कि घटना किसकी लापरवाही से हुई, वे नहीं बता सकते तथा ट्रेक्टर चालक कौन था, सामने आने पर भी, वे नहीं बता सकते तथा उनके कोई बयान नहीं हुये। इसी अनुक्रम में गवाह पी.ड 6 पवन कुमार व पी.ड. 7 महेश कुमार से सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई जिरह का भी अवलोकन किया जाये तो सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में उक्त दोनों गवाहान पी.ड. 6 पवन कुमार व पी.ड. 7 महेश कुमार अपने–अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी. 5 व प्रदर्श पी. 6 का ए से बी भाग जिसमें मुख्य रूप से ट्रेक्टर चालक गिरधारी द्वारा लापरवाही पूर्वक ट्रेक्टर चलाकर दुर्घटना कारित करने के तथ्य अंकित हैं, उक्त ए से बी भाग को पुलिस को देने से इन्कार किया है तथा उक्त दोनों गवाहान पी.ड. 6 पवन कुमार व पी.ड. 7 महेश कुमार सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह के दौरान यह सुझाव भी गलत बताते हैं कि ट्रेक्टर नंबर RJ 23 RB 7715 के चालक गिरधारीलाल की गलती और लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई हो। इसी प्रकार उक्त दोनों गवाहान पी.ड. 6 पवन कुमार व पी.ड. 7 महेश कुमार अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में यह सुझाव सही बताते हैं कि उनके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए और ना ही उन्होंने कोई घटना देखी तथा यह घटना

किसकी लापरवाही से हुयी, वे नहीं बता सकते। इस प्रकार उक्त दोनों गवाह पी.ड. 6 पवन कुमार व पी.ड. 7 महेश कुमार अपने सशपथ बयानों में अभियोजन कहानी के तथ्यों की लेशमात्र भी ताईद नहीं करते है। अपितु उक्त दोनों गवाह पी.ड. 6 पवन कुमार व पी.ड. 7 महेश कुमार पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुए हैं।

12.7 इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो गवाह पी.ड. 8 ओमप्रकाश प्रकरण में जप्त ट्रेक्टर नंबर RJ 23 RB 7715 के मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी. 7 का औपचारिक गवाह है, जो कि उक्त ट्रेक्टर का मैकेनिकल मुआयना करने व फर्द मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर के सम्बन्ध में केवल औपचारिक कथन करता है।

12.8 इसी प्रकार पत्रावली का आगे अवलोकन किया जाये तो अभियोजन पक्ष की ओर से परिक्षित गवाह पी.ड. 10 सुरेश कुमार वर्मा प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में अनुसंधान सम्बन्धी सामान्य कथन करते हुए दौराने अनुसंधान घटना का नक्शामौका प्रदर्श पी. 1 तैयार करने, दुर्घटना कारित ट्रेक्टर व उसके कागजात व अभियुक्त् गिरधारी के ड्राईविंग लाईसेंस को क्रमशः फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 3 व 4 के जब्त किये जाने तथा दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर के मालिक मनीष को धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी.2 देने, जिसमें वाहन स्वामी का सी से डी जवाब होने तथा उक्त जवाब में वाहन स्वामी द्वारा वाहन चालक गिरधारी होना बताने तथा गिरधारी को धारा 134 एम.वी. एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी. 14 देने, जिसमें अभियुक्त गिरधारी का सी से डी जवाब होने तथा उक्त जवाब में गिरधारी द्वारा स्वयं को चालक बताने के कथन अवश्य किये हैं। परंतु यहां यह उल्लेखित किया जाना कि नक्शामौका प्रदर्श पी. 1 मौतबिरान गवाह पी.ड. 1 कमल किशोर व पी.ड. 2 बजरंगलाल की उपस्थित में बना है, जो कि न्यायालय के समक्ष घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी. 1 उनके सामने नहीं बना होने का कथन करते हुये पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। इसी प्रकार दुर्घटना कारित ट्रेक्टर व उसके कागजात व अभियुक्त गिरधारी के ड्राईविंग लाईसेंस को जरिये प्रदर्श पी. 3 व प्रदर्श पी. 4 मौतबिरान गवाह पी.ड. 4 मुरारीलाल व पी.ड. 5 राकेश की उपस्थित में जब्त किया है, जो की न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में उनके सामने कागजात व ट्रेक्टर जब्त नहीं होने का कथन करते हुये पुर्णतः पक्षद्रोही हुये हैं तथा अभियोजन पक्ष दुर्घटना स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी. 1, दुर्घटना कारित ट्रेक्टर व उसके कागजात की फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 3 व 4 संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 सुरेश द्वारा वाहन ट्रेक्टर के स्वामी को धारा 133 एम.वी. एक्ट के तहत दिये गये नोटिस प्रदर्श पी. 2 के जवाब में वाहन स्वामी

मनीष द्वारा वरवक्त घटना ट्रेक्टर चालक गिरधारी बताया जाना अभिकथित किया गया है, परंतु न्यायालय के समक्ष गवाह पी.ड. 3 के रूप में परिक्षित वाहन स्वामी मनीष ने उक्त नोटिस प्रदर्श पी. 2 पर सी से डी भाग में जवाब उसके द्वारा लिखवाये जाने से इन्कार करते हुए व प्रदर्श पी. 2 पर खाली पर साईन करवाने के अभिकथन करते हुए पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुआ है। ऐसे में गवाह पी.ड. 10 सुरेश की साक्ष्य भी अभियोजन कहानी को कोई समर्थन प्रदान नहीं करती है।

13. इस प्रकार न्यायालय के समक्ष हुये सशपथ बयानों में परिवादी गवाह पी .ड. 9 रामस्वरूप व अन्य गवाहान पी.ड. 6 पवन कुमार व पी.ड. 7 महेश पूर्णतः पक्षद्रोही रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से परिक्षित नक्शामौका घटनास्थल व फर्द जब्ती वाहन व कागजात के मौतबिरान गवाह पी.ड. 1 कमल किशोर व पी.ड. 2 बजरंगलाल, पी.ड. 4 मुरारीलाल, पी.ड. 5 राकेश भी पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित रहे हैं तथा तथाकथित संलिप्त वाहन ट्रेक्टर का वाहन स्वामी पी.ड. 3 मनीष भी पक्षद्रोही रहा है। न्यायालय के समक्ष हुये सशपथ बयानों में स्वयं परिवादी पी.ड. 9 रामस्वरूप, अन्य गवाह पी.ड. 6 पवन व पी.ड. 7 महेश ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर नहीं बताये हैं तथा ना हि तथाकथित वाहन ट्रेक्टर का वक्त घटना चालक अभियुक्त गिरधारी होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि वक्त घटना किसी भी गवाह ने अभियुक्त को दुर्घटना कारित करने वाले तथाकथित ट्रेक्टर को चलाते हुए नहीं देखा है तथा ना ही तथाकथित ट्रेक्टर नंबर RJ 23 GB 7715 से दुर्घटना कारित हुई हो यह तथ्य साबित किया है।

14. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र अवलोकन से अभियोजन पक्ष न्यायालय के विनम्र मत में प्रथमतः यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 26.09.2022 को समय सुबह 11.00 बजे ग्राम भवानीपुरा धोद में मृतक सुरेश के खेत में वाहन ट्रेक्टर नंबर RJ 23 RB 7715 को लापरवाही व उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापित करते हुए परिवादी के ताऊजी के लड़के सुरेश कुमार के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की। जिसके परिणाम स्वरूप दौराने ईलाज सुरेश कुमार की मृत्य कारित हुई। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार अभियोजन पक्ष प्रथम विचारणीय बिन्दू को साबित करने में असफल रहा है।

15. विचारणीय बिंदू संख्या 2 के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो विचारणीय बिंदू संख्या 2 के अंतर्गत अभियोजन पक्ष को यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा तथाकथित दुर्घटना कारित ट्रेक्टर नंबर RJ 23 RB 7715 को बिना नंबर प्लेट लगाये चलाकर मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस संदर्भ में अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो वाहन ट्रेक्टर का मैकेनिकल

मुआयना करने वाले गवाह पी.ड. 8 ओमप्रकाश ने हालांकि ट्रेक्टर पर वाहन नंबर नहीं होने व ट्रेक्टर बिना नंबरी होने के कथन अपने सशपथ बयानों में अवश्य किये हैं। परंतु इस संदर्भ में अन्य किसी भी गवाहान ने कोई भी कथन नहीं किया है तथा अभियोजन पक्ष विचारणीय बिंदू संख्या 1 के अंतर्गत उपर्युक्त बिंदूओं के तहत किये गये विवेचन में यह साबित करने में असफल रहा है कि वरवक्त घटना अभियुक्त गिरधारी तथाकथित दुर्घटना कारित वाहन का चालक हो व उसको चलाया हो। ऐसे में चूंकि यही साबित नहीं है कि अभियुक्त द्वारा दुर्घटना में संलिप्त तथाकथित उक्त ट्रेक्टर को चलाया हो। मोटर यान अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किसी भी वाहन को बिना नंबर प्लेट लगाये चलाया जाना मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अभियोजन पक्ष उपरोक्त विवेचनानुसार अपने साक्ष्य से तथाकथित ट्रेक्टर अभियुक्त द्वारा चलाया जाना ही साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में उक्त विचारणीय बिंदू संख्या 2 भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिंदू संख्या 2 को साबित करने में असफल रहा है।

16. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। यदि अभियोजन पक्ष के मामले में सन्देह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य सामग्री के उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्त गिरधारीलाल के विरुद्ध यह सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 26.09.2022 को समय सुबह 11.00 बजे ग्राम भवानीपुरा धोद में मृतक सुरेश के खेत में वाहन ट्रेक्टर नंबर RJ 23 RB 7715 को बिना नंबर प्लेट लगाये लापरवाही व उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापित करते हुए परिवादी के ताऊजी के लड़के सुरेश कुमार के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की। जिसके परिणाम स्वरूप दौराने ईलाज सुरेश कुमार की मृत्यु कारित हुई। अतः अभियुक्त गिरधारीलाल को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

17. चूंकि अभियोजन पक्ष ने विचारणीय बिन्दू संख्या 1 व 2 को अभियुक्त गिरधारीलाल के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। इस कारण सजा के बिन्दू पर सुने जाने का कोई औचित्य नही हैं।

आदेश

18.1 परिणामस्वरूप अभियुक्त गिरधारीलाल पुत्र भगवानाराम, उम्र–46 साल, निवासी भवानीपुरा, पुलिस थाना धोद, जिला सीकर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा

279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 177 मोटर यान अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18.2 अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत मुचलके निरस्त किये जाते है।

18.3 अभियुक्त द्वारा पूर्वादेशानुसार धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता (481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000/– रुपये का जमानत मुलचका पेश कर तस्दीक करवाये जा चुके हैं। अपील प्रस्तुत न होने की दशा मे उक्त जमानत मुचलके 06 माह की अवधि के पश्चात स्वतः ही उन्मोचित समझे जावे।

18.4 प्रकरण में जब्तशुदा ट्रेक्टर नंबर RJ 23 RB 7715 को मनीष कुमार को सुपुर्द किया गया था, जो सुपुर्दीगार के पास ही रहे तथा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामे व जमानतनामे अपील नहीं होने की दशा में बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझे जावे।

(जयश्री लमोरिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
धोद जिला सीकर (राज.)

19. यह निर्णय आज दिनांक **06.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(जयश्री लमोरिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
धोद जिला सीकर (राज.)